संख्या-63/971/84-डे0ई0-13-01चिकित्सा/08

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रभारी चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0 सचिवालय डिस्पेंसरी, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 13 नवम्बर, 2013

विषय:- श्रीमती वीना, समीक्षा अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डेस्क इकाई द्वारा अपनी करायी गयी चिकित्सा पर व्यय हुयी धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्रीमती वीना, समीक्षा अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डेस्क इकाई उ0प्र0 सचिवालय द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में निजी चिकित्सक डा0 शिव करन वर्मा, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ से दिनांक 28-3-13 से दिनांक 08-08-2013 तक की अवधि में कराये गये उपचार पर व्यय हुई धनराशि रू0 4,686.00 के सापेक्ष प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद, लखनऊ द्वारा रू0 4422.00 (रूपये चार हजार चार सौ बाइस मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, से संबंधित चिकित्सक का प्रमाण पत्र एवं कार्यालय को दी गयी उपचार की सूचना तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा (अनिवार्यता प्रमाण पत्र एवं बिल बाउचर्स) मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत दावे का तकनीकी परीक्षण कराकर प्रस्तुत दावे हेतु देय धनराशि स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए अपनी संस्तुति उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डेस्क इकाई, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक::यथोपरि। (मूलरूप में)

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव ।

संख्या-63/971(1)/84-डे0ई0-13तद्दिनांक।

प्रतिलिपि श्रीमती वीना, समीक्षा अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डेस्क इकाई को उनके पत्र दिनांक 06-11-2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in/